

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक:- 1248 (FP/UK/ROAD/11055/2015) दिनांक: देहरादून 26 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4
उत्तराखण्ड, शासन।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/11055/2015

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी, के पत्रांक 952/12-1 (1) दिनांक 30-09-2016 के द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। उक्त सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकार

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 952 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, 30, 2016.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। Proposal No FP/UK/ROAD/11055/2015

सन्दर्भ :- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 688/1-12(2) दिनांक 26.09.2016. महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा वॉच्छित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	उत्तरालेख
1	बांज प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है व न ही वन संरक्षक की स्थलीय रिपोर्ट संलग्न है। बांज वृक्ष प्रभावित होने पर वन संरक्षक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।	प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने के सम्बन्ध में सूचना वन संरक्षक स्तर से ऑन लाईन प्रेषित है। (संलग्नक-बांज वृक्ष पातन प्रमाण पत्र)
2	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑनलाईन अपलोड सूची पठनीय नहीं है तथा इस पर वन विभाग की संस्तुति/हस्ताक्षरित नहीं है।	पार्ट-1 के Additional information के S.No. 23 में संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची को संस्तुति/हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	भाग-3 व भाग-4 को हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	भाग-3 व भाग-4 उच्च स्तर से संबंधित है।
4	नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न0 व क्षेत्रफल का विवरण अंकित नहीं है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	पार्ट-1 के Additional information के S.No. 23 में नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न0 व क्षेत्रफल का विवरण अंकित कर दिया है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 3 पेज।

भवदीय



(जी0के0रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Surjeet

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत ममणी-सरोली मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक X को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :

प्रांतीय वनाधिकारी की कार्यवाही/सहमति से सहमत।

क्र0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग	
			0-10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक		
1	जखोली	बांज	11	7	1									19

उपरोक्त परियोजना प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन किया जाना अति आवश्यक है।

उत्तराधिकार


वन संरक्षक,
गढ़वाल वन संरक्षक
गढ़वाल वृक्ष
उत्तराखण्ड पीडी
१



ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फ़ैक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की नदी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 638/12-1(2)दिनांक 26/09/2016::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०म०घ०) के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग (2.10 है०) के निर्माण हेतु लो०नि०वि० की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। प्रोजेक्ट संख्या- FP/UK/ROAD/11055/2015

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 6548/12-1 दिनांक 27.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
1	बाज प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है व न ही वन संरक्षक की स्थलीय रिपोर्ट संलग्न है। बाज वृक्ष प्रभावित होने पर वन संरक्षक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।	वन संरक्षक महोदय से संबंधित है।
2	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑनलाईन अपलोड सूची पठनीय नहीं है तथा इस पर वन विभाग की संस्तुति/हस्ताक्षरित नहीं है।	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची को संस्तुति/हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	भाग-3 व भाग-4 को हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	भाग-3 व भाग-4 उच्च स्तर से संबंधित है।
4	नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न० व क्षेत्रफल का विवरण अंकित नहीं है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न० व क्षेत्रफल का विवरण अंकित कर दिया है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑनलाईन (Other document) अपलोड किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (ऑनलाईन अपलोड)

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eeppwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 3446 / 1040

दिनांक 22/9/2016

है।

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/11055/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखौली के अन्तर्गत ममणी-उरो नी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.10 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1295/X-4-15/1(477)/2015 वन एवं पर्यावरण अ-भाग-4 दिनांक 02.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की गयी थी जिस पर प्रश्न लाइन आपत्तियां लग गयी थी, जिनका निराकरण निम्न प्रकार है-

Sr.	FDS Details	FDS Removed as follows
1	आज प्रमाण पत्र वन संरक्षण द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है व न ही वन सस्त्रक की स्थलीय रिपोर्ट सलग्न है। याज्ञ वृक्ष प्रभावित होने पर वन सस्त्रक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
1	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों / प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑन लाइन अपलोड सूची पठनीय नहीं है तथा इस पर वन विभाग की संस्तुति हस्ताक्षरित नहीं है।	वृक्षों की पठनीय सूची सलग्न है। जिस पर संस्तुति व हस्ताक्षर वन विभाग द्वारा किया जाना है। सन्दर्भ पत्र सं 217 पत्र संख्या 25 वृक्षों के विवरण का प्रमाण पत्र के सदान लिंक का संख्या 8 Other document में ऑन लाइन अपलोड किया गया है।
2	भाग-3 व भाग-4 का हस्ताक्षरित कर ऑन लाइन अपलोड नहीं किया गया है।	भाग 3 व 4 वन विभाग से सम्बन्धित है।
3	वन भूमि का विवरण व अनापत्ति प्रमाण पत्र में अज्ञित की जाने वाली भू-1 का खसरा नं० व अज्ञित वन विवरण अज्ञित नही है तथा इस संबंध उपनिरीक्षण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर ऑन लाइन अपलोड नहीं किया गया है।	वन भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अज्ञित की जाने वाली भू-1 का खसरा नं० व अज्ञित वन विवरण अज्ञित नही है तथा इस संबंध उपनिरीक्षण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर सलग्न है। Other document में ऑन लाइन अपलोड किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग।